क्रम-संख्या—188

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 अगस्त, 2004

श्रावण 21, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1225/सात-वि-1—1(क) 30-2004

लखनऊ, 12 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महेदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 11 अगस्त, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) यह 11 जून, 2004 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3 में, उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"(8) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में अधिसूचित की जायं, कर की धनराशि को ऐसी सीमा तक माफ कर सकती है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि किसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई के लिए समस्त क्रयों और उसके द्वारा किये गये समस्त विक्रयों पर कर की प्रभावी दरें राज्य ऊर्जा नीति के प्रारम्भ होने के दिनांक को लागू सम्बन्धित दरों से अधिक न हों।"

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य ऊर्जा नीति, 2003 को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 (उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948) को संशोधित करके कर की धनराशि को ऐसी सीमा तक जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि किसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई के लिए समस्त क्रयों, और उसके द्वारा किये गये समस्त विक्रयों, पर कर की प्रभावी दरें उक्त नीति के प्रारम्भ होने के दिनांक को लागू सम्बन्धित दरों से अधिक नहीं होंगी, माफ कर सकने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने की व्यवस्था की जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्मवीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1225 (2)/VII-V-1-1(KA) 30-2004

Dated Lucknow, August 12, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vyapar Kar (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 11, 2004.

THE UTTAR PRADESH TRADE TAX (THIRD AMENDMENT) ACT, 2004

(U.P. ACT NO. 18 OF 2004)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Trade Tax (Third Amendment) Act, 2004.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 11, 2004.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 *for* sub-section (8), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

Amendment of section 3 of U. P. Act no. 15 of 1948

"(8) The State Government may, by notification, remit the amount of tax to the extent necessary to ensure that effective rates of trade tax on all purchases for and sales by a Power Project Industrial Unit, do not exceed the respective rates applicable as on the date of commencement of State Energy Policy subject to the conditions as may be notified in such notifications."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to implement the State Energy Policy, 2003 approved by the Government it has been decided to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 (U. P. Act no. 15 of 1948) to provide for empowering the State Government to remit the amount of tax to the extent necessary to ensure that the effective rates of trade tax on all purchases for, and sales by, a Power Project Industrial Unit shall not exceed the respective rates applicable on the date of commencement of the said Policy.

The Uttar Pradesh Trade Tax (Third Amendment) Bill, 2004 is introduced accordingly.

By order,
D. V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 335 राजपत्र (हिन्दी)–2004–(868)–2004–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 151 सा० विधा०–2004–(869)–850–(कम्प्यूटर / आफसेट)।